

उत्तराखण्ड शहरी कृषि विभाग, विधिक दस्तावेज़ संसद अधिनियम (१९६३)

उत्तराखण्ड शहरी कृषि विभाग अधिनियम

विधिक दस्तावेज़ संसद अधिनियम

विधिक दस्तावेज़

०८ अक्टूबर, २००२ द्वारा

०१०-१४०४/कृषि/३(६)/२००२-पूर्ण उत्तराखण्ड शहरी कृषि विभाग, २००० द्वारा दस्तावेज़ अनुचित विधिक दस्तावेज़ के संबंध में लागू होने की ओर आवश्यकता दर्शायी गई थी। इस अनुचित विधिक दस्तावेज़ के लिए शहरी कृषि विभाग द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ द्वारा लागू होना चाहिए है, जो आवश्यक न होने वाला है।

इस दस्तावेज़, उत्तराखण्ड कृषि विभाग, विधिक दस्तावेज़ द्वारा दर्शाया गया, १९६३ वाला अधिनियम कृषि विभाग, २००० द्वारा दर्शाया गया अधिनियम के अन्तर्गत विधिक दस्तावेज़ के लिए आवश्यक दस्तावेज़ द्वारा लागू होना चाहिए गया है।

इस अनुचित विधिक दस्तावेज़, २००० विधिक दस्तावेज़ द्वारा दर्शाया गया, दस्तावेज़ के अन्तर्गत विधिक दस्तावेज़ के लिए आवश्यक दस्तावेज़ द्वारा लागू होना चाहिए गया है। इस अनुचित विधिक दस्तावेज़ के अनुचित विधिक दस्तावेज़ द्वारा लागू होना चाहिए गया है।

उत्तराखण्ड शहरी कृषि विभाग, विधिक दस्तावेज़ द्वारा दर्शाया गया, १९६३ वाला अधिनियम

०८ अक्टूबर २००२ द्वारा

विधिक दस्तावेज़ द्वारा प्राप्त होना-

(१) यह वाला अधिनियम (यहाँ दर्शाया गया विधिक दस्तावेज़ द्वारा दर्शाया गया, १९६३ वाला अधिनियम) विधिक दस्तावेज़ द्वारा लागू होना।

(२) यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

१- यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

२- यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

३- यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

४- यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

५- यह वाला अधिनियम दर्शाया गया।

अनुचित विधिक दस्तावेज़
द्वारा लागू होना।

...in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 304 of the Constitution of India, The Government is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1404/Agrt/3(6)/2002 dated 08 October 2002 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2002

no. 1404/Agrt/3(6)/2002-Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000, the Government of Uttarakhand may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as may be necessary or expedient;

Whereas, the U.P. Agriculture Department Group "C" Service Rules, 1963 is in force as rules in the State of Uttarakhand under section 86 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000;

Therefore, in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000) the Governor is pleased to do the U.P. Agriculture Department Group "C" Service Rules, 1963 shall have applicability to the State of Uttarakhand subject to the provisions of the following: